

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार रुपनगढ जिला-अजमेर

राजस्व मुकदमा नं.

49/2022

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान

राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0बुहारू

बनाम

कालू पुत्र श्रीकिशन, मदन पुत्र लक्ष्मण, नन्दा

पुत्र हरदेव, धीरा पुत्र सूरजकरण

जाति गुर्जर निवासी बुहारू

निर्णय

दिनांक:- 19.07.2022

पत्रावली पेश हुयी। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि अप्रार्थी ने ग्राम बुहारू के आराजी खसरा नंबर 160 किस्म चारागाह रकबा 0.3236 हैक्टर भूमि पर बाडा बनाकर कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।

अप्रार्थी नियत दिनांक को बावजूद सूचना गैर हाजिर रहे, न ही उनकी ओर से कोई वकील या प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाती है। अतःमामला एक पक्षीय निर्णित किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी ने ग्राम बुहारू के आराजी खसरा नंबर 160 किस्म चारागाह रकबा 0.3236 हैक्टर भूमि से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.65 का 50 गुणा 33/-रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आपत्ति मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



वर्ष 2022-23 रा.ले.सं. 4 ठे पृष्ठ संख्या
27 का सं. 33 की मांग
कायमी की गई। 22/7/22
तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार
रुपनगढ (अजमेर)